

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108]

दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 18, 2015/श्रावण 27, 1937

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 86

No. 108]

DELHI, TUESDAY, AUGUST 18, 2015/SRAVANA 27, 1937

[N.C.T.D. No. 86

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 18 अगस्त, 2015

फा. सं. 3(224)/2012/डीआईएसएमएच/होमियो/स्थापना/एचक्यू/3407- बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दिल्ली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के तहत एक सांविधिक निकाय है जो दिल्ली होम्योपैथिक अधिनियम, 1956 की धारा 32 के तहत होम्योपैथिक फार्मैसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। बोर्ड द्वारा इस प्रकार के पाठ्यक्रम को शुरू करना होमियोपैथी के विज्ञान को विकसित करने में मील का पत्थर साबित होगा और यह दिल्ली और भारत में होमियोपैथी के इतिहास में अपना वर्चस्व स्थापित करेगा। होम्योपैथिक फार्मैसी के इस डिप्लोमा कोर्स के अध्ययन पाठ्यक्रम में इस बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम तथा पाठ्य विवरण सम्मिलित होगा। यह पाठ्यक्रम, दो वर्ष की अवधि का होगा और सैद्धांतिक के साथ-साथ प्रायोगिक प्रशिक्षण दोनों जून से शुरू होंगे जो केंद्रीय/राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों और/या स्वैच्छिक संगठनों जैसे कि सामान्यतः होमियोपैथी के विकास और उत्थान के लिए विभिन्न होम्योपैथिक फार्मास्युटिकल केंद्रों द्वारा विभिन्न स्थानों पर चलाए जायेंगे।

चिकित्सा शास्त्र की होम्योपैथिक प्रणाली में होम्योपैथी डिप्लोमा फार्मैसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अपेक्षित अर्हता विनिर्धारित करते हुए दिल्ली होम्योपैथिक अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 2) की धारा 32 के साथ पठित धारा 46 के तहत चिकित्सा-शास्त्र के होम्योपैथिक बोर्ड द्वारा सरकार के पूर्वानुमोदन से निम्नलिखित विनियमन बनाए हैं। ऐसे प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम और अर्हकारी परीक्षा के विषय में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है, अर्थात :-

1. (1) इन विनियमों को "होम्योपैथिक फार्मैसी पाठ्यक्रम में डिप्लोमा विनियम, 2015" कहा जाएगा।
(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. होम्योपैथिक फार्मेसी पाठ्यक्रम में डिप्लोमा के लिए प्रवेश पद्धति :

- (क) प्रवेश के लिए उम्मीदवार द्वारा यथोचित रूप से भरे हुए आवेदन फार्म निर्धारित तारीख के भीतर, जैसाकि होम्योपैथिक प्रणाली के चिकित्सा-शास्त्र बोर्ड, दिल्ली द्वारा संबद्ध संबंधित संस्थान द्वारा समय-समय पर घोषित की जाएगी, बोर्ड के कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए।
- (ख) पाठ्यक्रम के लिए किसी उम्मीदवार को प्रवेश इस शर्त के अधीन होगा कि उसने निम्न न्यूनतम अर्हता उत्तीर्ण की हो -
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर स्थित किसी भी स्कूल से विज्ञान (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान) विषय में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। ऐसे उम्मीदवार को दिल्ली क्षेत्र का माना जाएगा।
 - विज्ञान (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान) विषय के साथ किसी अन्य राज्य से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। ऐसे उम्मीदवार को दिल्ली क्षेत्र से बाहर का माना जाएगा।
- (ग) प्रवेश के वर्ष की पहली जून को 17 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।
- (घ) आवेदक का अच्छा नैतिक चरित्र होना चाहिए।
- (ङ) दो पासपोर्ट आकार के फोटो संलग्न किए जाने हैं, जिसमें से एक आवेदन फार्म पर चिपकाया जाना चाहिए और दूसरा केवल पहचान पत्र को जारी करने के प्रयोजन से संलग्न किया जाना चाहिए।
- (च) सामान्य उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत और विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण के लिए 45 प्रतिशत से मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

3. पाठ्यक्रम की अवधि :

पाठ्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक सत्र की होगी जिसका प्रत्येक शैक्षणिक सत्र एक सौ अस्सी दिनों की अवधि से कम का नहीं होगा। इसके अतिरिक्त तीन महीने की अवधि का ५०० घंटे का व्यवहारिक प्रशिक्षण होगा।

4. सीटों की कुल संख्या :

सीटें संबंधित संस्थान में उपलब्ध न्यूनतम मानक और सुविधाओं के अनुसार आबंटित की जाएंगी। दिल्ली सरकार के मानदंडों के अनुसार दिल्ली क्षेत्र के छात्रों के लिए 85 प्रतिशत सीट उपलब्ध होंगी और दिल्ली से बाहर के छात्रों के लिए 15 प्रतिशत सीट उपलब्ध होंगी। दिल्ली क्षेत्र और दिल्ली से बाहर की विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार होगा।

प्रवेश के लिए फीस के भुगतान की तारीख दर्शाते हुए आवेदन फार्मों को प्रस्तुत करने के अंतिम तारीख से आवेदन फार्मों की संवीक्षा के पश्चात संस्थान के नोटिस बोर्ड पर चयनित उम्मीदवारों की सूची प्रदर्शित की जाएगी। विनिर्दिष्ट, यथा घोषित तारीख को फीस अदा करने में विफल रहने वाले उम्मीदवार सीट के लिए अपना दावा खो देंगे और इसे प्रवेश सूची के पैनल से अगले सुपात्र उम्मीदवार को आबंटित किया जाएगा।

5. फीस

बोर्ड प्रस्तावित कालेज/संस्थान स्थल के निरीक्षण के लिए आवेदक से निरीक्षण फीस के रूप में दस हजार रुपए लेगा।

होम्योपैथिक फार्मेसी पाठ्यक्रम के लिए वार्षिक फीस 40,000/-रुपए होगी और दिल्ली/नई दिल्ली में देय संबंधित फार्मेसी कालेज के पक्ष में लिखे गए क्रासड डिमांड ड्राफ्ट/ बैंक देय आदेश के रूप में शैक्षिक वर्ष में दो किस्तों में देय होगी। बोर्ड फीस संरचना और प्रवेश पद्धति की आवधिक रूप से समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

बोर्ड की परीक्षा के लिए फीस निम्नलिखित होगी :

	परीक्षा फीस :		
(i)	होम्योपैथिक फार्मेसी पाठ्यक्रम में डिप्लोमा (भाग-I) अंक तालिका सहित वार्षिक परीक्षा फीस	...	2000/-रुपए

	होम्योपैथिक फार्मसी पाठ्यक्रम में डिप्लोमा (भाग-II)	...	2000/-रुपए
	अंक तालिका सहित वार्षिक परीक्षा फीस		
(ii)	होम्योपैथिक फार्मसी पाठ्यक्रम में डिप्लोमा अंक तालिका सहित पूरक परीक्षा फीस	...	600/-रुपए प्रति विषय
(iii)	नामांकन फीस	...	500/-रुपए
(iv)	डुप्लीकेट अंक तालिका के लिए फीस	...	200/-रुपए
	अन्य फीस :	...	
(i)	30 दिन तक देरी फीस	...	250/-रुपए
(ii)	20 दिन तक देरी फीस	...	25/-रुपए(उपर्युक्त के अलावा)
	पारिश्रमिक की दरें :	...	
(i)	पेपर प्राशनिक (सैद्धांतिक)	...	500/-रुपए प्रति पेपर
(ii)	नियमन	...	300/-रुपए प्रति पेपर
(iii)	उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन	...	25/-रुपए प्रति उत्तर पुस्तिका/ न्यूनतम 250/-रुपए
(iv)	ओ/पी के लिए विद्यार्थी की जांच करना	...	25/-रुपए बाह्य/आंतरिक परीक्षा
(v)	बाहरी परीक्षक को टी.ए.	...	500/-रुपए प्रतिदिन/सरकारी नियमों के अनुसार

पर्यवेक्षी स्टाफ	
	500/-रुपए अधीक्षक
	350/-रुपए उपाधीक्षक
	300/-रुपए निरीक्षक
	200/-रुपए श्रेणी-IV
प्रश्न पत्रों की छपाई	150/-रुपए प्रति प्रश्न पत्र

फीस संरचना की प्रत्येक 4 वर्ष में फीस समीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी।

टिप्पणी : शिथिल करने की शक्ति - राज्य सरकार को संस्थान की फीस समीक्षा समिति की सिफारिशों पर जारी करने की शक्ति होगी।

6. अध्ययन पाठ्यक्रम :

फार्मसी भाग-I में डिप्लोमा और फार्मसी भाग-II में डिप्लोमा के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम में नीचे तालिका-I और II में दिए गए विषय शामिल होंगे। सैद्धांतिक और प्रायोगिक पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए प्रत्येक विषय को दिए जाने वाले घंटों की संख्या नीचे दी गई तालिका के कालम 2 और 3 में इसके सामने नोट किए गए घंटों से कम नहीं होगी :

तालिका-I

फार्मसी में डिप्लोमा (भाग-I)

विषय	सैद्धांतिक के घंटों की संख्या	प्रायोगिक के घंटों की संख्या
औषधीय	200	175
होम्योपैथिक के सिद्धांतों से परिचय	100	25

होमियो मटेरिआ मेडिका के साथ फार्मेकोप्रोसी	200	100
मानव एनाटमी, शरीर विज्ञान और जैव-रसायन	150	100
	650	400 = 1050

पहले शैक्षिक वर्ष के दौरान विनिर्माण यूनिट में एक भ्रमण और बोटोनिकल/हर्ब गार्डन में एक भ्रमण

तालिका-II

फार्मेसी में डिप्लोमा (भाग-II)

विषय	सैद्धांतिक के घंटों की संख्या	प्रायोगिक के घंटों की संख्या
औषधीय	200	150
होम्योपैथिक के सिद्धांतों से परिचय	50	25
फार्माकोलोजी और टोक्सीकोलोजी	100	50
फार्मास्युटिकल विधिशास्त्र	50	-
औषध भंडार और व्यवसाय प्रबंध	100	50
अस्पताल और नैदानिक फार्मेसी	100	50
	600	325 = 925

दूसरे शैक्षिक वर्ष के दौरान एचपीएल का एक भ्रमण और विनिर्माण एकक का एक भ्रमण।

7. उक्त तालिका में अध्ययन के प्रत्येक विषय की पाठ्यचर्या अनुबंध-क में यथा विनिर्दिष्ट होगी।

8. परीक्षा :

पहले वर्ष के पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की जांच करने के लिए फार्मेसी में डिप्लोमा (भाग-I) के लिए परीक्षा और दूसरे वर्ष के पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की जांच करने के लिए, फार्मेसी में डिप्लोमा (भाग-II) के लिए परीक्षा होगी। प्रत्येक परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जा सकती है। वर्ष में पहली परीक्षा वार्षिक परीक्षा होगी और दूसरी परीक्षा फार्मेसी में डिप्लोमा (भाग-I) या फार्मेसी में डिप्लोमा (भाग-II), जैसा भी मामला हो, पूरक परीक्षा होगी। परीक्षा लिखित और प्रायोगिक (मौखिक सहित) स्वरूप की होगी, विषय के प्रत्येक भाग के लिए अधिकतम अंक नीचे तालिका-III और IV में यथानिर्दिष्ट होंगे :

तालिका-III

फार्मेसी में डिप्लोमा (भाग-I)

विषय	सैद्धांतिक		प्रायोगिक		मौखिक		आंतरिक मूल्यांकन		कुल	
	पूर्ण अंक	पास अंक	पूर्ण अंक	पास अंक	पूर्ण अंक	पास अंक	पूर्ण अंक	पास अंक	पूर्ण अंक	पास अंक
औषधीय-I	100	50	40	20	40	20	20	10	300	150
औषधीय-II	100	50	-	-	-	-	-	-	-	-
होमियोपैथी के सिद्धांतों का परिचय	100	50	20	10	20	10	10	05	150	75

फार्माकोगनोजी और होम्योपैथिक मेडिकरिका मेडिका-I	100	50	40	20	40	20	20	10	300	150
फार्माकोगनोजी और होमियोपैथिक मेडिरिया मेडिका-II	100	50	-	-	-	-	-	-	-	-
मानव एनैटमी, शारीरिक विज्ञान और जैव-रसायन	100	50	40	20	40	20	20	10	200	100
	600	300	140	70	140	70	70	35	950	475

तालिका-IV

फार्मेसी में डिप्लोमा (भाग-II)

विषय	सैद्धांतिक		प्रायोगिक		मौखिक		आंतरिक मूल्यांकन		कुल	
	पूर्ण अंक	पास अंक	पूर्ण अंक	पास अंक	पूर्ण अंक	पास अंक	पूर्ण अंक	पास अंक	पूर्ण अंक	पास अंक
औषधीय-I	100	50	40	20	40	20	20	10	300	150
औषधीय-II	100	50	-	-	-	-	-	-	-	-
होमियोपैथी के सिद्धांतों का परिचय	100	50	20	10	20	10	10	05	150	75
फार्माकोगनोजी और होम्योपैथिक मेडिरिया मेडिका-I	100	50	20	10	20	10	10	05	150	75
फार्मास्युटिकल विधिशास्त्र	100	50	-	-	-	-	-	-	-	-
औषध भंडार और व्यवसाय प्रबंध	100	50	40	20	40	20	20	10	200	100
अस्पताल और नैदानिक फार्मेसी	100	50	20	10	20	10	10	05	150	75
	700	350	140	70	140	70	70	35	1050	525

9. फार्मेसी में डिप्लोमा भाग-I परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता :

केवल ऐसे उम्मीदवार, जो डिप्लोमा फार्मेसी भाग-I पाठ्यक्रम कर रहे हैं उन्हें शैक्षिक संस्था के प्रमुख से जारी अध्ययन पाठ्यक्रम की सिद्धांत और व्यावहारिक की अलग-अलग तथा प्रत्येक विषय की नियमित रूप से २५% कक्षाओं में सहभागिता के संबंध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ताकि वे डिप्लोमा फार्मेसी (भाग - I) की परीक्षा में बैठ सकें।

टिप्पणी : शिथिल करने की शक्ति - संस्थान की शैक्षिक समिति

10. फार्मेसी में डिप्लोमा भाग-II परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता : केवल ऐसे उम्मीदवार, जो डिप्लोमा फार्मेसी भाग-II पाठ्यक्रम कर रहे हैं उन्हें शैक्षिक संस्था के प्रमुख से जारी अध्ययन पाठ्यक्रम की सिद्धांत और व्यावहारिक दोनों

3543 DG/15-2

विषयों की नियमित रूप से ७५% कक्षाओं में सहभागिता के संबंध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ताकि वे फार्मैसी में डिप्लोमा की (भाग - II) की परीक्षा में बैठ सके।

टिप्पणी : शिथिल करने की शक्ति - संस्थान की शैक्षिक समिति

11. परीक्षा की विधि :

- (i) तालिका-III और IV में उल्लिखित विषय में प्रत्येक सैद्धांतिक परीक्षा तीन घंटे की अवधि की होगी।
- (ii) कोई उम्मीदवार, जो किसी विषय की सैद्धांतिक या प्रायोगिक परीक्षा में फेल हो जाता है, तो उसे उसी विषय की सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों में पुनः उपस्थित होगा।
- (iii) प्रायोगिक परीक्षा में मौखिक परीक्षा भी शामिल होगी।

12. परीक्षा को पास करने के लिए न्यूनतम अंक :

किसी छात्र को फार्मैसी में डिप्लोमा परीक्षा को पास किया गया घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सत्रात्मक/प्रायोगिक फाइल अंकों सहित सैद्धांतिक परीक्षा में प्रत्येक विषय में अलग-अलग कम से 50 प्रतिशत अंक और प्रायोगिक और मौखिक परीक्षा में अलग-अलग प्रत्येक में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करता है। फार्मैसी में डिप्लोमा (भाग-I) या फार्मैसी में डिप्लोमा (भाग-II) में एकल प्रयास में सभी विषयों में कुल 60 प्रतिशत अंक या ऊपर प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को फार्मैसी में डिप्लोमा (भाग-I) या फार्मैसी में डिप्लोमा (भाग-II), जैसा भी मामला हो, में प्रथम श्रेणी में पास किया गया घोषित किया जाएगा, किसी विषय या विषयों में 75 प्रतिशत या ऊपर अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार विषय या उन विषयों, बशर्ते कि उसने सभी विषयों को एकल प्रयास में पास किया है, में श्रेष्ठता से पास किया गया घोषित किया जाएगा।

13. फार्मैसी में डिप्लोमा (भाग-II) को पदोन्नति के लिए पात्रता :

सभी उम्मीदवार जो सभी विषयों में उपस्थित हुए थे और फार्मैसी में डिप्लोमा (भाग-I) परीक्षा पास की है फार्मैसी में डिप्लोमा (भाग-II) में पदोन्नति के लिए पात्र हैं। तथापि, दो विषयों से अधिक में फेल होने वालों को फार्मैसी में डिप्लोमा भाग-II कक्षा में पदोन्नति से रोक दिया जाएगा।

14. परीक्षा का अनुमोदन :

परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी। यदि दिल्ली से बाहर स्थित कोई संस्थान दिल्ली बोर्ड के साथ संबद्ध होने के लिए अनुमति मांगता है तो उस पर विचार भी किया जाएगा।

15. फार्मैसी में डिप्लोमा (भाग-II) के लिए परीक्षा पास करने का अंतरिम प्रमाणपत्र :

बोर्ड द्वारा फार्मैसी में डिप्लोमा भाग-II के लिए परीक्षा पास करने के पश्चात अंतरिम प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

16. प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए अवधि और अन्य शर्तें :

- (i) बोर्ड द्वारा आयोजित फार्मैसी में डिप्लोमा के लिए भाग-II परीक्षा में उपस्थित होने के पश्चात उम्मीदवार संस्थानों के तीन महीने के प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए पात्र हो जाएगा, नामतः
केंद्र/राज्य सरकार/नगर निगम/केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना और राज्य बीमा कर्मचारी स्कीम/एनडीएमसी द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल/डिस्पेंसरियां।
- (ii) उप-विनियम (1) में उल्लिखित संस्थान प्रशिक्षण देने के पात्र होंगे, यह इस शर्त के अधीन होगा कि किसी अस्पताल, फार्मैसी, केंद्र/राज्य सरकार/नगर निगम/नई दिल्ली नगरपालिका/केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना और कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम द्वारा चलाए जा रहे किसी अस्पताल, फार्मैसी, डिस्पेंसरी में लिए जाने वाले फार्मासिस्ट की संख्या दो से अधिक नहीं होगी, जहां कार्य में एक फार्मासिस्ट संलग्न है जिसमें छात्र फार्मासिस्ट प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, जहां एक से अधिक फार्मासिस्ट इसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, संख्या प्रत्येक अतिरिक्त ऐसे फार्मासिस्ट के लिए नहीं बढ़ेगी।

(iii) प्रशिक्षार्थी को प्रायोगिक प्रशिक्षण के दौरान निम्नलिखित प्रदर्शित करना होगा :

(1) फार्मसी के व्यवसाय से संबंधित विभिन्न अधिनियमों द्वारा अपेक्षित रिकार्डों को रखने का कार्यकारी ज्ञान और

(2) निम्न में प्रायोगिक अनुभव

(क) आम प्रयोग में फार्मास्युटिकल उपकरण को रखना

(ख) खुराक की जांच सहित नुस्खे को पढ़ना, अनुवाद की नकलनवीसी

(ग) दवाई देने की आम विधियों का उदाहरण देते हुए नुस्खे की दवा तैयार करने

(घ) औषधियों और चिकित्सा औषधि मिश्रण का भंडारण।

(iv) प्रायोगिक प्रशिक्षण तीन महीने से अधिक अवधि में फैले पांच सौ घंटों से अधिक नहीं होगी, बशर्ते कि दो सौ पचास घंटों से अधिक नुस्खों के वास्तव में औषधि बना कर न लगाए गए हों।

17. प्रशिक्षण के शुरू होने से पूर्व अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :

(i) शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रधान, आवेदन पर, उक्त प्रायोगिक प्रशिक्षण करने के लिए पात्र उम्मीदवार फार्मासिस्ट के रूप में (इसमें इसके पश्चात् संविदा फार्म के रूप में कहा गया है) योग्यता के लिए तीन प्रतियों में प्रायोगिक प्रशिक्षण संविदा फार्म देगा। संविदा फार्म अनुबंध-ख में यथा-निर्दिष्ट होगा।

(ii) शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रधान संविदा फार्म का भाग-I भरेगा। प्रशिक्षार्थी उक्त संविदा फार्म का भाग-II भरेगा और संस्थान का प्रधान प्रशिक्षण देने की सहमति देते हुए (यहां इसमें इसके पश्चात् प्रशिक्षु मास्टर के रूप में कहा जाएगा) उक्त संविदा फार्म का भाग-III भरेगा।

(iii) प्रशिक्षार्थी की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि इस प्रकार भरी गई एक प्रति (इसमें इसके पश्चात् इसे संविदा फार्म की प्रथम प्रति कहा जाएगा) शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान को प्रस्तुत की जाती है और अन्य दो प्रतियां (इसमें इसके पश्चात् दूसरी और तीसरी प्रति के रूप में कहा जाएगा) प्रशिक्षु मास्टर के साथ (यदि वह ऐसा चाहता है) या प्रशिक्षण के पूरा होने के लंबित प्रशिक्षार्थी के साथ भरी जाएगी।

18. फार्मसी में डिप्लोमा (भाग-III) पास करने का प्रमाणपत्र :

प्रशिक्षु अवधि के संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर, प्रशिक्षु मास्टर संविदा फार्म की दूसरी और तीसरी प्रति का भाग-IV भरेगा और शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान को भेजे जाने के लिए कहेगा जो दूसरी प्रति और तीसरी प्रति से पूरे फार्म की पहली प्रति में उपयुक्त रूप से प्रविष्टि करेगा और संविदा फार्म की तीन प्रतियों के भाग-V को भरेगा और उसके पश्चात् दूसरी प्रति और तीसरी प्रति प्रशिक्षार्थी को देगा। यह, यदि सभी तरह से पूर्ण हो, तो इसे फार्मसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (भाग-III) को सफलतापूर्वक पूरा किए जाने के प्रमाणपत्र के रूप में माना जाएगा।

19. फार्मसी में डिप्लोमा का प्रमाणपत्र :

बोर्ड द्वारा होमियोपैथी में फार्मसी में डिप्लोमा का प्रमाणपत्र सफल उम्मीदवार द्वारा फार्मसी में डिप्लोमा भाग-I और भाग-II को पास करने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने और फार्मसी में डिप्लोमा (भाग-III) के लिए प्रायोगिक प्रशिक्षण के संतोषजनक ढंग से पूरा करने पर प्रदान किया जाएगा।

20. विविध :

विनियम 17 के तहत अनुमोदन के लिए फार्मसी में प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम पर विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह इन विनियमों के तहत विनिर्धारित सभी शर्तों को पूरा न करता हो।

पाठ्यचर्या

फार्मास्यूटिक्स

भाग-I सैद्धांतिक (200 घंटे)

- (i) परिभाषा।
- (ii) एचपीआई, एचपीयूएस, बीएचपी, जीएचपी के विशेष संदर्भ में फार्माकोपिया से परिचय।
- (iii) एक प्रणाली से दूसरी में रूपांतरण सहित होम्योपैथिक पैमानों के परिकलन सहित भार और माप की मापविद्या प्रणालियां।
- (iv) वाहक, वाहको से परिचय।
- (v) मदर टिन्चर को तैयार करने की हैनीमैन की विधि।
- (vi) परकोलेशन और मैसीरेशन द्वारा मदर टिन्चर तैयार करना, नई विधि।
- (vii) पोटेंटाइजेशन, ट्राइटूशन और सकसेशन, शुष्क ट्राइटूशन को तरल पोटेंसी में बदलना।
- (viii) होम्योपैथिक औषधी को तैयार करने की विभिन्न विधियां - डेसिमल पैमाने, सेंटीसिमल पैमाने और मिलिसिमल पैमाने में होम्योपैथिक औषधी का ड्रग ट्राइटूशन और पोटेंटाइजेशन।
- (ix) जेनिचेन, फिंक की उच्च पोटेंसी, डा. स्किलर की फलक्शन विधि और डायनामाइजेशन की कोरसकोफ की विधि।
- (x) बाह्य प्रयोग, कार्यक्षेत्र, संघटक और तैयार करना, ग्लाइसिरोल, लिनिमेंट, क्रीम, मलहम, लोशन, प्लास्टर और संरक्षक।
- (xi) ग्लोबल्स, गोलियां, डिस्केटी आदि।
- (xii) मदर टिन्चर और पोटेंसी का परिरक्षण।
- (xiii) पोसोलोजी।
- (xiv) एडमिनिस्ट्रेशन के रूट।
- (xv) फार्माकोडायनामिक्स; औषधी कार्रवाई का तंत्र, औषधी कार्रवाई संशोधित करने के कारक।
- (xvi) औषधियों की कार्रवाई : भौतिक, रासायनिक, डायनमिक।

प्रायोगिक (175 घंटे)

- (i) व्हिंकल इथाइल एल्कोहल, आसवित जल, दूध की चीनी, जैतून का तेल, ग्लिसरीन की शुद्धता जांच।
- (ii) आर्द्रता की मात्रा का अनुमान लगाना।
- (iii) पुरानी विधि द्वारा मदर टिन्चर तैयार करना (1-9 श्रेणी) सकसेशन और ट्राइटूशन (प्रत्येक 10)।
- (iv) पोटेंशियेशन, ट्राइटूशन और सकसेशन विधि।
- (v) कल्चर मीडिया को तैयार करना और आइ ड्राप की जीवाणुहीन जांच।
- (vi) आसवित जल और इंजेक्शन के लिए जल को तैयार करना।
- (vii) सस्पेंशन को तैयार करना।
- (viii) इमल्शन।
- (ix) मलहम तैयार करना।
- (x) एनिमा

भाग-II सैद्धांतिक (200 घंटे)

- (i) सर्जिकल ट्रेसिंग, एबजोरबेंट, बेनडेज, प्लास्टर और परिरक्षक।

- (ii) साइज सेपरेशन द्वारा सीना।
- (iii) मिक्सिंग और होमोजीनेशन, तरल मिक्सिंग और पाउडर मिक्सिंग, अर्ध ठोस की मिक्सिंग।
- (iv) फिल्ट्रेशन और इसका वर्गीकरण, फिल्ट्रेशन का सिद्धांत, फिल्ट्रेशन मीडिया, फिल्टर एड और फिल्टरों का चयन।
- (v) होम्योपैथिक औषधियों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त व्हिकल, औषधियों को तैयार करना, मलहम, लिनिमेंट, लोशन, प्लास्टर, पुल्टिस के लिए प्रयुक्त आधार सामग्री और तैयार करने की विधि।
- (vi) उष्मा प्रोसेस, वाष्पन, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पित करने वाली भट्टी और वाष्पित करने वाला पैना।
- (vii) आसवन; सरल आसवन, आंशिक आसवन, भाप आसवन, निर्वात आसवन, निर्वात भट्टी का अध्ययन, शुद्ध जल को तैयार करना, इसके लिए प्रयुक्त भट्टी का निर्माण और कार्य।
- (viii) शोषण प्रोसेस का परिचय, ट्रे शोषकों का अध्ययन, तरल युक्त निरंतर शोषक, निर्वात शोषक और फ्रीज शोषक।
- (ix) जीवाणुनाशन, जीवाणुनाशन की अवधारणा और इसका रोगणुनाशन से अंतर, माइक्रो आर्गेनिज्म का तापीय रोधी, (क) गीली उष्मा से जीवाणुनाशन, (ख) शुष्क उष्मा से जीवाणुनाशन, (ग) आसवन द्वारा जीवाणुनाशन, (घ) गैसों से जीवाणुनाशन।
- (x) गोलियों की परिभाषा, संपीडित गोलियों की विभिन्न किस्म और उनके गुण-धर्म, गोलियों के उत्पादन में शामिल प्रोसेस, टेबलेट एक्सपेंडिस, विघटन और विलयन सहित भौतिक मानक, गोली की कोटिंग चीनी कोटिंग, फिल्म कोटिंग, एन्टरिंग कोटिंग, माइक्रो कैपसुलेशन।
- (xi) खाली कठोर जिलेटिन कैपसूल का कैपसूल निर्माण, साफ्ट जिलेटिन कैपसूल, हार्ड जिलेटिन कैपसूल सूत्रीकरण और विनिर्माण में प्रयुक्त उपस्कर और गुणवत्ता नियंत्रण।
- (xii) होम्योपैथिक दर्शन पर आधारित असंगत होम्योपैथिक सूत्रीकरण। नुस्खा लिखने में असंगतियां, विभिन्न किस्म की असंगतियों का अध्ययन - भौतिक, रासायनिक और चिकित्सा संबंधी।
- (xiii) फार्मास्युटिकल के पैकिंग और लेबल लगाना, पात्रों की किस्में, पात्रों की वांछनीय विशेषताएं। पात्रों के लिए कांच और प्लास्टिक सामग्री की किस्में, पात्रों के लिए सामग्री के रूप में रबड़ - उनकी मेरिट और डीमेरिट, एकोसोल पैकेजिंग के लिए परिचय।
- (xiv) अच्छी प्रयोगशाला प्रथा।

प्रायोगिक (150 घंटे)

- (i) कैपसूल भरना।
- (ii) बर्तन - साफ करना और जीवाणुनाशन।
- (iii) अम्ल, अम्ल आधारित टाइट्रेशन।
- (iv) क्लोराइड, सल्फेट, लोहा, भारी धातुओं का लिटमस परीक्षण।
- (v) न्यूनतम 5 औषधीय पौधों की टीएलसी।
- (vi) एचपीआई में शामिल न्यूनतम 5 औषधियों के लिए अधिकारिक पहचान करना और 10 औषधियों की परख।
- (vii) त्वचा की क्रीम तैयार करना।
- (viii) लोशन, फेस पाउडर।
- (ix) बालों का शेम्पू, बालों का टॉनिक।
- (x) दंत पाउडर, दंत पेस्ट।

होम्योपैथिक सैद्धांतिक का परिचय**भाग-I (100 घंटे)**

- (i) होम्योपैथिक उद्गम का इतिहास और विकास
- (ii) डा. एस. हैनीमैन का जीवन और कार्य
- (iii) हैनीमैन – एक फार्मासिस्ट
- (iv) स्वास्थ्य, बीमारी, स्वास्थ्य लाभ की अवधारणा और होम्योपैथिक में उपचार
- (v) ओर्गेनोन ऑफ़ मेडिसिन के अध्ययन का परिचय
- (vi) किसी फिजीशियन का मिशन
- (vii) आदर्श उपचार
- (viii) होम्योपैथिक औषधी के सिद्धांत
- (ix) लक्षणों की संपूर्णता
- (x) लक्षणों का विश्लेषण और मूल्यांकन
- (xi) बीमारी की छवि

प्रायोगिक – रिकार्ड बनाना (25 घंटे)

उपर्युक्त सभी विषय

भाग-II (50 घंटे)

- (i) बीमारी – प्राकृतिक और कृत्रिम
- (ii) औषधी की प्राथमिक और गौण क्रिया
- (iii) औषधी प्रमाणित करना (होम्योपैथिक पैथेजोनिटिक परीक्षण)
- (iv) संवेदनशीलता
- (v) स्थायी बीमारियों की सैद्धांतिक
- (vi) उपचार प्रतिक्रिया
- (vii) पोसोलोजी
- (viii) होम्योपैथिक मैटेरिया मेडिका के स्रोत
- (ix) होम्योपैथिक मैटेरिया मेडिका
- (x) होम्योपैथिक मैटेरिया मेडिका का मैटेरिया मेडिका के साथ तुलनात्मक अध्ययन
- (xi) होम्योपैथिक चिकित्सा का कार्यक्षेत्र और सीमाएं

प्रायोगिक – रिकार्ड बनाना (25 घंटे)

उपर्युक्त सभी विषय

होमियो मैटेरिया मेडिका के साथ फार्माकोगनोजी**सैद्धांतिक (200 घंटे)**

- (i) औषधी की देशी प्रणाली सहित फार्माकोगनोजी की परिभाषा, इतिहास और कार्यक्षेत्र
- (ii) मिलावट और औषधी मूल्यांकन, फार्माकोपोइल मानकों का महत्व

(iii) मोरफोलोजी, प्रत्येक से न्यूनतम पांच उदाहरणों के साथ निम्नलिखित समूहों की भौतिक, रासायनिक विशेषताएं :

(क) पौधा जगत

परिवार

- कम्पाजिटे
- कुकुरबिटेसे
- लोगनिआसे
- पापावीरेसे
- राननकुलेसे
- सोलेनसे
- एनकारडाइसे
- मेलनथीएसे

(ख) खनिज जगत

- जम्ल समूह
- काली समूह
- नेटरम समूह
- बरयटा समूह
- केलकेरिया समूह
- पारा समूह
- कार्बन समूह

(ग) पशु जगत

- ओफिडिआ समूह
- स्पाइडर समूह
- कीट समूह
- मछली समूह

(घ) सारकोड्स

(ड.) नोसोड्स

प्रायोगिक (100 घंटे)

- (i) मोरफोलोजिकल लक्षणों द्वारा औषधी की पहचान करना
- (ii) औषधी के मूल्यांकन के लिए भौतिक और रासायनिक परीक्षण (जहां कहीं प्रयोज्य हो)
- (iii) निम्नलिखित औषधियों का सकल एनाटोमिकल अध्ययन (टीएस) : सेन्ना , धतूरा , सिनेमन , सिनकोना , कोरिएन्डर , फेन्नेल , क्लोव , जिंजर , नक्सवोमिका , इपोकाकुआन्हा ।

फार्मोकोलोजी और टोक्सीकोलोजी

सैद्धांतिक (100 घंटे)

- (i) फार्मोकोलोजी का परिचय, फार्मोकोलोजी का कार्यक्षेत्र।

- (ii) औषधी देने के रूट, उनके लाभ और हानियाँ।
- (iii) औषधी क्रिया का सामान्य तंत्र और कारक जो औषधी क्रिया को संशोधित करते हैं।
- (iv) टोक्सीकोलोजी की परिभाषा।
- (v) होमयोपैथिक मटिरिया मेडिका के साथ संबंध।
- (vi) टोक्सीसिटी के बुनियादी सिद्धांत – तीक्ष्ण, उप-तीक्ष्ण और स्थायी।
- (vii) स्थानीय और क्रमबद्ध टोक्सीसिटी।
- (viii) टोक्सीसिटी को प्रभावित करने वाले कारक।
- (ix) सामान्य परिवारिक जहर।
- (x) जहर का वर्गीकरण।
- (xi) जहर की क्रिया को संशोधित करने वाले कारक।
- (xii) शरीर में जहर का अंतिम परिणाम।
- (xiii) फार्माकोलोजिकल क्रिया के संबंध में – अध्ययन की जाने वाली औषधियों की सूची (20 औषधियों)।

प्रायोगिक (50 घंटे)

एल्कोलायड की पहचान करना

मानव शरीर विज्ञान, फिजीआलजी और जैव-रसायन

सैद्धांतिक (150 घंटे)

- (i) शरीर विज्ञान और फिजीआलजी का कार्यक्षेत्र
शरीर विज्ञान में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों की परिभाषा
- (ii) सेल की संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोसोम के विशेष संदर्भ में इसके संघटकों के कार्य
- (iii) शरीर के प्राथमिक टिशू अर्थात् एपिथिलियल टिशू, मसकुलर टिशू, कनेक्टिव टिशू और नर्वस टिशू
- (iv) हड्डियों के ढांचे की संरचना और कार्य। ज्वाइंट का वर्गीकरण और उनके कार्य, ज्वाइंट डिसऑर्डर
- (v) रक्त की संरचना, रक्त तत्वों के कार्य, रक्त समूह और रक्त का जमाव, रक्त के विकारों के संबंध में संक्षिप्त सूचना
- (vi) लिम्फ ग्लैंड का नाम और कार्य
- (vii) मुख्य आर्टेरी और वेन्स के नाम और स्थिति के विशेष संदर्भ में हृदय, आर्टिरियल और वेनस प्रणाली के विभिन्न भागों की संरचना और कार्य। रक्त का दबाव और इसको रिकार्ड करना। कार्डियोवेसकुलर विकारों के बारे में संक्षिप्त जानकारी
- (viii) श्वास प्रणाली के विभिन्न भाग और उनके कार्य, श्वसन की फिजियोलोजी
- (ix) मूत्र प्रणाली के विभिन्न भाग और उनका कार्य और संरचना तथा किडनी के कार्य, मूत्र बनने की फिजियोलोजी, रीनल बीमारी और इडेमा की पथेफिजियोलोजी
- (x) स्केलटल मसल की संरचना, मसल सिकुड़ने की फिजियोलोजी, नाम की स्थिति, विभिन्न स्केलटल मसल के अटैचमेंट और कार्य, न्यूरोमसकुलर जंक्शन का फिजियोलोजी
- (xi) केंद्रीय नर्वस प्रणाली के विभिन्न भाग, मस्तिष्क और इसके भाग, कार्य और प्रतिक्रिया क्रिया, आटोमेटिक नर्वस प्रणाली की एनाटमी और फिजियोलोजी
- (xii) स्वाद, गंध, कान और त्वचा की संरचना और कार्यों का प्राथमिक ज्ञान, दर्द की फिजियोलोजी

- (xiii) पाचन तंत्र : पाचन प्रणाली के विभिन्न भागों के नाम और उनके कार्य, लीवर की संरचना और कार्य, पाचन और अवशोषण की फिजियोलॉजी
- (xiv) एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन, ग्लैंड का स्थान, उनके हार्मोन और कार्य, पिटुवटरी, थायरायड, एड्रिनल और पैनक्रियास
- (xv) प्रजनन प्रणाली – प्रजनन प्रणाली की फिजियोलॉजी और एनाटमी
- (xvi) आंख, कान और त्वचा – संरचना और कार्य।

प्रायोगिक (100 घंटे)

- (i) मानव अस्थि पिंजर का अध्ययन
- (ii) निम्नलिखित अंग प्रणाली का चार्ट और माडल की सहायता से अध्ययन
 - (क) पाचन प्रणाली
 - (ख) श्वसन प्रणाली
 - (ग) कार्डियोवैस्क्यूलर प्रणाली
 - (घ) यूरिनरी प्रणाली
 - (ङ) प्रजनन प्रणाली
 - (च) नर्वस सिस्टम
 - (छ) आंख
 - (ज) कान
- (iii) एपीथीलियल टिशू, कार्डिक मसल, समूथ मसल, स्केलटन मसल, कनेक्टिव टिशू और नर्वस टिशू की माइक्रोस्कोपिक जांच
- (iv) टोएलसी, डीएलसी और मलेरिया पेरासाइट के लिए रक्त फिल्म की जांच
- (v) रक्त के क्लोटिंग समय का निर्धारण, एरिथ्रोसाइट सेडीमेंटेशन दर और हीमोग्लोबिन मूल्य
- (vi) शरीर का तापमान, पल्स, हृदय दर, रक्त दबाव और ईसीजी की रिकार्डिंग
- (vii) प्राथमिक चिकित्सा – इसके लक्ष्य और सामान्य सिद्धांत, उपस्करों का सुधार और प्राथमिक चिकित्सा के लिए उपलब्ध सामग्री का उपयोग। हेमरेज, शॉक, एसफिक्सिया, कनवल्शन, जख्म, जला, स्कार, जहर और रेससिटेशन का प्रबन्धन, बेंडऐज, स्प्लिंट आदि का प्रयोग

फार्मास्युटिकल विधि शास्त्र

सैद्धांतिक (50 घंटे)

- (i) भारत में फार्मास्युटिकल विधान का उदगम और स्वरूप, इसका कार्य क्षेत्र और उद्देश्य। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के अनिवार्य अंग के रूप में "फार्मसी की अवधारणा" का विकास।
- (ii) व्यावसायिक नीति शास्त्र के सिद्धांत और महत्व
- (iii) फार्मसी अधिनियम, 1948 – शिक्षा विनियम, राज्य और केंद्रीय परिषदों का कार्यकरण, इन परिषदों का गठन और कार्य, अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रक्रिया के विशेष संदर्भ में फार्मसी अधिनियम का सामान्य अध्ययन
- (iv) औषध और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 – औषध और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का सामान्य अध्ययन। निरीक्षकों की शक्तियां, नमूना लेने की प्रक्रिया और नियम के

तहत लाइसेंस लेने में प्रक्रिया और औपचारिकताएं। फार्मसी को प्रभावशाली ढंग से चालने के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। अनुसूची सी, सी1, एफ, जी, जे, एच, पी और एक्स के विशेष संदर्भ में अनुसूचियों का सामान्य अध्ययन और औषधियों के लेबल लगाने और भंडारण की मुख्य विशेषताएं।

- (v) औषधियां और मैजिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 – अधिनियम के उद्देश्यों का सामान्य अध्ययन, विज्ञापनों पर विशेष संदर्भ दिया जाना चाहिए। मैजिक उपचार और आपत्तिजनक विज्ञापन और अनुमत्य विज्ञापन – बीमारी जिसका ठीक होने का दावा नहीं किया जा सकता।
- (vi) नशीले पदार्थ और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 – अधिनियम का इसके उद्देश्यों, अपराध और दंड के विशेष संदर्भ में संक्षिप्त अध्ययन।
- (vii) निम्नलिखित अधिनियमों के अध्ययन का संक्षिप्त परिचय :
 - (क) प्रवृत्त नवीनतम औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश
 - (ख) जहर अधिनियम, 1919 (आज की तारीख तक संशोधित)
 - (ग) औषधि और प्रसाधन औषधि मिश्रण (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 (आज की तारीख तक संशोधित)
 - (घ) गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (आज तक संशोधित)

औषध भंडार और व्यवसाय प्रबंध

सैद्धांतिक (100 घंटे)

भाग-I – वाणिज्य

- (i) परिचय – व्यापार, उद्योग और वाणिज्य कार्य तथा वाणिज्य के उप-प्रभाग, अर्थशास्त्र और प्रबंध के तत्वों का परिचय
- (ii) व्यवसाय संगठन के रूप
- (iii) वितरण प्रणाली
- (iv) औषध गृह का प्रबंध – स्थल का चयन, स्थान ले आउट और कानूनी अपेक्षाएं। खरीद सप्लायर का चयन, क्रेडिट सूचना, टेंडर संविदा और मूल्य निर्धारण और उनकी कानूनी अपेक्षाओं का महत्व तथा उद्देश्य। औषध भंडारों का कोड बनाना, संभालना और अन्य अस्पताल आपूर्ति
- (v) बिक्री संवर्धन, बाजार अनुसंधान, सेल्समैनशिप, सेल्समैन के गुण, विज्ञापन और विंडो प्रदर्शन
- (vi) फार्मासिस्ट की भर्ती, प्रशिक्षण, मूल्यांकन और मुआवजा
- (vii) बैंकिंग और वित्त सेवा तथा बैंक के कार्य, वित्त योजना और वित्त के स्रोत।

भाग-II – लेखा शास्त्र

- (i) लेखाकरण अवधारणाएं और परम्परा, दोहरी प्रविष्टि बुक कीपिंग, खातों की विभिन्न किस्में
- (ii) रोकड़ बही
- (iii) सामान्य लेजर और ट्रायल बैलेंस
- (iv) लाभ और हानि लेखा और तुलन पत्र
- (v) वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने की सरल तकनीक
- (vi) बजट बनाने का परिचय

[सुझाई गई पुस्तकें (नवीनतम संस्करण) रेमिंगटन फार्मास्युटिकल विज्ञान]

प्रायोगिक (50 घंटे)

रिकार्ड तैयार करना

अस्पताल और नैदानिक फार्मैसी

सैद्धांतिक : (100 घंटे)

अस्पताल फार्मैसी

- (i) अस्पताल की परिभाषा, कार्य, विभिन्न पद्धति पर आधारित वर्गीकरण, संगठन, प्रबंध और भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली
- (ii) अस्पताल फार्मैसी :
 - (क) परिभाषा
 - (ख) अस्पताल फार्मास्युटिकल सेवाओं के कार्य और उद्देश्य
 - (ग) स्थान, लेआउट सामग्री और व्यक्ति का फ्लो चार्ट
 - (घ) व्यक्तिगत और बुनियादी जरूरतों पर आधारित उपस्करों सहित कार्मिक और सुविधाओं की आवश्यकता
 - (ङ) अस्पताल फार्मासिस्टों के लिए अपेक्षाएं और योग्यता।
- (iii) अस्पताल में औषधी वितरण प्रणाली :
 - (क) बाह्य रोगी सेवाएं
 - (ख) आंतरिक रोगी सेवाएं (क) सेवाओं की किस्में (ख) यूनिट खुराक प्रणाली की विस्तृत चर्चा, फ्लोर वार्ड स्टाफ प्रणाली, दूरस्त फार्मैसी सेवाएं, केंद्रीय जीवाणु रहित, बेड साइड फार्मैसी।
- (iv) विनिर्माण :
 - (क) किफायती मान्यता, मांग का अनुमान लगाना
 - (ख) जीवाणु रहित निर्माण - बड़े और छोटे परिमाण, अभिभावकीय सुविधाएं, आवश्यकताएं, लेआउट उत्पादन योजना, मानवशक्ति की आवश्यकता
 - (ग) गैर-जीवाणु रहित निर्माण - तरल ओरल, एक्सटर्नेल - थोक सांद्रण
 - (घ) भंडार के लिए खरीद और कच्ची सामग्रियों की जांच
- (v) नामावली और सर्जिकल उपस्करों का प्रयोग और अस्पताल उपकरण और स्वास्थ्य उपस्कर
- (vi) सर्जिकल डेसिंग जैसे काटन, गाँज, बेनडेज और चिपकने वाली टेप जिसमें गुणवत्ता के लिए फार्माकोपोइअल परीक्षण शामिल है, अन्य अस्पताल आपूर्ति उदाहरण के लिए आईवी सेट, बीजी सेट, रायल ट्यूब, केथेटर, सिरिंज आदि।
- (vii) रिकार्ड, माल सूची नियंत्रण, मेडिकेशन मानीटरिंग, औषध सूचना और डाटा भंडारण के अनुरक्षण में कम्प्यूटर का प्रयोग और अस्पताल और खुदरा फार्मैसी प्रतिष्ठानों का स्थापन।

नैदानिक फार्मैसी :

- (i) नैदानिक फार्मैसी प्रथा का परिचय - परिभाषा, कार्यक्षेत्र
- (ii) आधुनिक डिस्पेंसिंग पहलू - फार्मासिस्ट और रोगी परामर्श और सामान्य औषधियों, मेडिकेशन इतिहास का प्रयोग
- (iii) मेडिसन की प्रैक्टिस में प्रयुक्त सामान्य दैनिक शब्दावली
- (iv) औषधियों की बायो उपलब्धता, इसे प्रभावित करने वाले कारकों सहित।

प्रायोगिक (50 घंटे)

- (i) कच्ची सामग्री की जांच

- (ii) सर्जिकल ड्रेसिंग का मूल्यांकन
- (iii) सर्जिकल उपकरणों, कांच के सामान और अन्य अस्पताल आपूर्ति को कीटाणुरहित करना
- (iv) डाटा प्रोसेसिंग उपकरणों को संभालना और उनका प्रयोग।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर
मृणालिनी दरसवाल, विशेष सचिव (आयुष)

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 18th August, 2015

F. No. 3(224)/2012/DISMH/Homoeo/Estt/HQ/3407.—The Board of Homoeopathic System of Medicine, Delhi, a statutory body under the Deptt. of Health and Family Welfare, Govt. of NCT of Delhi is going to introduce a Diploma Course in Homoeopathic Pharmacy under section-32 of the Delhi Homoeopathic Act, 1956. Introduction of such type of course by the Board is a land-mark and milestone to develop the science of Homoeopathy and would demand its elegant place in the annals of history of Homoeopathy in Delhi and in India. This Diploma course of Homoeopathic Pharmacy shall comprise a course of study consisting of the Syllabus and Curriculum as prescribed by this Board. It is a course, spread over a period of two year, both theoretical as well as practical training starting from June term which shall be undertaken in different places run by the Central/State Govts./Local bodies and/or Voluntary Organizations such as different Homoeopathic Pharmaceutical Centers for the development and upliftment of Homoeopathy in general.

The following regulations framed with previous approval of Government by the Board of Homoeopathic System of Medicine, Delhi under section-46 read with section-32 of the Delhi Homoeopathic Act, 1956 (Act 2 of 1956) prescribing the qualification required for admission to a Homoeopathy Diploma Pharmacy Course in Homoeopathic System of Medicine. The course of such training and qualifying examination which are published for general information, namely :-

1. (1) These regulations may be called the **"Diploma in Homoeopathic Pharmacy Course Regulations, 2015"**
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. ADMISSION CRITERIA TO DIPLOMA IN HOMOEOPATHIC PHARMACY COURSE -

- (a) The application form for admission duly filled in by the candidate must reach the Board's office within the stipulated date as shall be announced from time to time by the concerned institution affiliated by the Board of Homoeopathic System of Medicine, Delhi.
- (b) A candidate shall be admitted to the course subject to the condition that he/she must have passed the minimum qualification -
 - 12th class from a school situated within National Capital Territory of Delhi to be considered as Delhi region candidates with science (Physics, Chemistry and Biology).
 - 12th class from any other State to be considered as candidate from outside Delhi with science (Physics, Chemistry and Biology).

(c) Must have attained the age of 17 years on 1st June of the year of admission.

(d) The applicant must bear a good moral character.

- (e) Two passport size photographs are to be attached, out of which one should be pasted on the application form and the other should be attached only for the purpose of issuance of Identity Card.
- (f) Admission shall be made strictly on the basis of Merit with 50% for general candidates and 45% for reservation of various categories.

3. Duration of Course -

The duration of the course shall be for two academic years with each academic year spread over a period of not less than one hundred and eighty working days in addition to 500 hours practical training spread over a period of not less than 3 months.

4. Total No. Seats -

Seats will be allotted as per Minimum standard and facilities available in the concerned institution. 85% seats will be available for Delhi region students as per Delhi Govt. norms and 15% seats will be available for outside of Delhi. Reservation for various categories for Delhi region and outside Delhi candidates shall be according to the reservation policy of Government.

A list of selected candidates shall be put up on the Notice Board of the institution after scrutiny of application form from the last date of submission of application forms mentioning the date of payment of the fees for admission. Candidate/s failing to pay the fees on the specified, date as announced, shall forfeit his/her claim for the seat and it shall be allotted to the next deserving candidate from the panel of admission list.

5. FEES -

The Board will charge Rupees Ten Thousand as Inspection fee from the applicant for inspection of proposed college/institution site.

The annual fee for Diploma in Homoeopathic Pharmacy Course shall be Rs. 40,000/- and shall be payable in two installment in the academic year in the form of crossed Demand Draft/Bank Payable Order drawn in favour of the concerned Pharmacy College payable at Delhi/New Delhi. Board reserves the right to review fee structure and admission criteria periodically.

The following shall be the fee for Board's examination :-

Examination Fee :

- | | | |
|-------|---|----------------------|
| (i) | Diploma in Homoeopathic Pharmacy Course (Part-I) ... | Rs.2,000/- |
| | Annual Examination Fee including mark sheet | |
| | Diploma in Homoeopathic Pharmacy Course (Part-II) ... | Rs.2,000/- |
| | Annual Examination Fee including mark sheet | |
| (ii) | Diploma in Homoeopathic Pharmacy Course Supl. ... | Rs.600/- per subject |
| | Examination Fee including mark sheet | |
| (iii) | Enrolment Fee | ... Rs.500 |
| (iv) | Fee for Duplicate Mark Sheet | ... Rs.200 |

Other Fee :

- | | | |
|------|-----------------------|------------------------------------|
| (i) | Late fee upto 30 days | ... Rs.250/- |
| (ii) | Late fee upto 20 days | ... Rs.25/- (in addition to above) |

Rates of Remuneration:

- | | | |
|-----|-----------------------|------------------------|
| (i) | Paper setter (theory) | ... Rs.500/- per paper |
|-----|-----------------------|------------------------|

3543 DG/15-5

(iii)	Moderation	...	Rs.300/- per paper
(iv)	Evaluation of answer book	...	Rs.25/- per answer book/minimum of Rs.250/-
(v)	Examining of student for O/P	...	Rs.25/- Ext./Intl. Exam
(vi)	T.A. to External Examiner	...	Rs.500/- per day/as per Govt. rules.

Supervisory Staff:

	...	Rs.500/- Supdt.
		Rs.350/- Asstt. Supdt.
		Rs.300/- Invigilator
		Rs.200/- Class-IV
Printing of Question papers		Rs.150/- per question paper

The fee structure shall be reviewed by the Fee Review Committee at every 4th year.

Note: Power to Relax – State Govt. shall have power to release on recommendations of Fee review committee of the institution.

6. Course of Study -

The course of study for Diploma in Pharmacy Part-I and Diploma in Pharmacy Part-II shall include the subjects as given in the tables I and II below. The number of hour devoted to each subject for its teaching in Theory and Practical, shall not be less than that noted against it in column 2 and 3 tables below :-

TABLE - I

Diploma in Pharmacy (Part - I)

<u>Subject</u>	<u>No. of hours of theory</u>	<u>No. of hours of practical</u>
Pharmaceutics	200	175
Introduction to Homoeopathic Principles	100	25
Pharmacognosy with Homeo Mat. Medica	200	100
Human Anatomy, physiology and Bio-Chemistry	150	100
	650	400 = 1050

One tour in manufacturing unit and one tour in botanical/herb garden during Ist academic year.

TABLE - II
Diploma In Pharmacy (Part - II)

<u>Subject</u>	<u>No. of hours of theory</u>	<u>No. of hours of practical</u>
Pharmaceutics	200	150
Introduction to Homoeopathic Principles	50	25
Pharmacology and Toxicology	100	50
Pharmaceutical Jurisprudence	50	--
Drug Store and Business Management	100	50
Hospital and Clinical Pharmacy	100	50
	600	325 = 925

One tour to HPL and one tour to manufacturing unit during IInd academic year.

7. The syllabus for each subject of study in the said table shall be as specified in Annexure-A.(4)

8. Examination -

There shall be an examination for Diploma in Pharmacy (Part - I) to examine students of the first year course and an examination for Diploma in Pharmacy (Part - II) to examine student of the second year course. Each examination may be held twice every year. The first examination in a year shall be the annual examination and the second examination shall be supplementary examination of the Diploma in Pharmacy (Part-I) or Diploma in Pharmacy (Part-II) as the case may be. The examination shall be of written and practical (including oral) nature, carrying maximum marks for each part of the subject as indicated in table III and IV below:-

TABLE - III
Diploma in Pharmacy (Part - I)

<u>SUBJECT</u>	<u>THEORY</u>		<u>PRACTICAL</u>		<u>VIVA VOCE</u>		<u>INT. ASS</u>		<u>TOTAL</u>	
	<u>Full marks</u>	<u>Pass marks</u>	<u>Full marks</u>	<u>Pass marks</u>	<u>Full marks</u>	<u>Pass marks</u>	<u>Full marks</u>	<u>Pass marks</u>	<u>Full marks</u>	<u>Pass marks</u>
Pharmaceutics I	100	50	40	20	40	20	20	10	300	150
Pharmaceutics II	100	50	---	---	---	---	---	---	---	---
Intr. to Hom. Prncp.	100	50	20	10	20	10	10	05	150	75
Pharmacognosy and Hom. Mat. Medica I	100	50	40	20	40	20	20	10	300	150
Pharmacognosy and Hom. Mat. Medica II	100	50	---	---	---	---	---	---	---	---
Human Anatomy, Physiology and Bio-Chemistry	100	50	40	20	40	20	20	10	200	100
	600	300	140	70	140	70	70	35	950	475

TABLE – IV
Diploma In Pharmacy (Part – II)

SUBJECT	<u>THEORY</u>		<u>PRACTICAL</u>		<u>VIVA VOCE</u>		<u>INT. ASS</u>		<u>TOTAL</u>	
	<u>Full marks</u>	<u>Pass marks</u>	<u>Full marks</u>	<u>Pass marks</u>	<u>Full marks</u>	<u>Pass marks</u>	<u>Full marks</u>	<u>Pass marks</u>	<u>Full marks</u>	<u>Pass marks</u>
Pharmaceutics I	100	50	40	20	40	20	20	10	300	150
Pharmaceutics II	100	50	---	---	---	---	---	---	---	---
Intr. to Hom. Prncp.	100	50	20	10	20	10	10	05	150	75
Pharmacology and Toxicology	100	50	20	10	20	10	10	05	150	75
Pharmaceutical Jurisprudence	100	50	---	---	---	---	---	---	100	50
Drug Store and Business Management	100	50	40	20	40	20	20	10	200	100
Hospital and Clinical Pharmacy	100	50	20	10	20	10	10	05	150	75
	700	350	140	70	140	70	70	35	1050	525

9. Eligibility for appearing at the Diploma in Pharmacy Part-I Examination -

Only such candidates who produce certificates from the Head of the academic institution in which he/she has undergone the diploma in Pharmacy Part-I course, in proof of his/her having regularly and satisfactorily undergone the course of study by attending not less than 75% of the classes held both in theory and in practical separately in each subject shall be eligible for appearing at the Diploma in Pharmacy (Part-I) examination.

Note : Power to relax – Academic Committee of the institution.

10. Eligibility for appearing at the Diploma in Pharmacy Part-II Examination -

Only such candidates who produce certificate from the Head of the academic institution in which he/she has undergone the Diploma in Pharmacy Part-II Course, in proof of his/her having regularly and satisfactorily undergone the Diploma in Pharmacy Part-II course by attending not less than 75% of the classes held both in theory and in practical separately in each subject shall be eligible for appearing at the Diploma in Pharmacy (Part-II) examination.

Note : Power to relax – Academic Committee of the institution.

11. Mode of Examination -

- (i) Each theory examination in the subject mentioned in Table-III and IV shall be of three hours duration.
- (ii) A candidate who fails in theory or practical examination of a subject shall re-appear both in theory and practical of the same subject.
- (iii) Practical examination shall also consist of a viva-voca (oral) examination.

12. Minimum marks for passing the examination -

A student shall not be declared to have passed diploma in Pharmacy examination unless he/she secures at least 50% marks in each of the subject separately in the theory examinations and at least 50% marks in each of the practical and viva examination separately including sessional/pract.file marks. The candidates securing 60% marks or above in aggregate in all subjects in a single attempt at the Diploma in Pharmacy (Part-I) or Diploma in Pharmacy (Part-II) examination shall be declared to have passed in first class the diploma in Pharmacy (Part-I) or Diploma in Pharmacy (Part-II) examination as the case may be candidates securing 75% marks or above in any subject or subjects shall be declared to have passed with distinction in the subject or those subjects provided he/she passed in all the subjects in a single attempt.

13. Eligibility for promotion to Diploma in Pharmacy (Part-II) -

All candidates who have appeared for all the subjects and passed the Diploma in Pharmacy (Part-I) examination are eligible for promotion to the Diploma in Pharmacy Part-II Class. However, failure in more than two subjects shall debar him from promotion to the Diploma in Pharmacy Part-II class.

14. Approval of examination -

The examination shall be held by the Board. If any institution situated outside Delhi seeks permission for affiliation with Delhi Board shall also be considered.

15. Provisional Certificate of passing examination for Diploma in Pharmacy (Part-II)

A Provisional Certificate after passing the examination for the Diploma in Pharmacy Part-II shall be granted by the Board.

16. Period and other conditions for Practical Training -

- (i) After having appeared in Part-II examination for the Diploma in Pharmacy, conducted by Board a candidate shall be eligible to undergo practical training of three months of the institutions namely:

Hospitals/Dispensaries run by Central/State Govt./Municipal Corporation/Central Government Health Scheme and Employees State Insurance Scheme/NDMC.

- (ii) The Institutions referred in sub-regulation(1) shall be eligible to impart training subject to the condition that the number of student pharmacists that may be taken in any hospital, pharmacy, Dispensaries run by Central/State Govt./Municipal Corporation/ New Delhi Municipal Corporation/Central Government Health Scheme and Employees State Insurance Scheme shall not exceed two, where there is one pharmacist engaged in the work in which the student pharmacist is undergoing practical training, where there is more than one pharmacist similarly engaged, the number shall not exceed one for each additional such pharmacist.

- (iii) In the course of practical training, the trainee shall have exposure to :-

- (1) Working knowledge of keeping of records required by various Acts concerning the profession of Pharmacy and

- (2) Practical experience in

(a) the holding of pharmaceutical apparatus in common use.

(b) the reading, translation of copying of prescription including checking of doses.

(c) the dispensing of prescription illustrating the commoner methods of administering medicaments and

(d) the storage of drugs and medical preparations.

- (vi) The Practical training shall be not less than five hundred hours spread over a period of not less than three months, provided that not less than two hundred and fifty hours are devoted to actual dispensing of prescription.

17. Procedure to be followed prior to commencing of the training -

- (i) The head of an academic training institution, on application, shall supply in triplicate Practical Training Contract Form for qualification as a pharmacist (hereinafter referred to as the Contract

7543 D 4/15-6

Form) to candidate eligible to under-take the said practical training. The Contract Form shall be as specified in Annexure – B.

- (ii) The head of an academic training institute shall fill Section-I of the Contract Form. The trainee shall fill Section-II of the said Contract Form and the Head of the institution agreeing to impart the training (hereinafter referred to as the Apprentice Master) shall fill Section-III if the said Contract Form.
- (iii) It shall be the responsibility of the trainee to ensure that one copy (hereinafter referred to as the first copy of the Contract Form) so filled is submitted to the head of the academic training institution and the other two copies (hereinafter referred to as the second copy and the third copy) shall be filled with the Apprentice Master (if he so desires) or with the trainee pending completion of the training.

18. Certificate of passing Diploma in Pharmacy (Part-III) -

On satisfactory completion of the apprentice period, the Apprentice Master shall fill Section-IV of the second copy and third copy of the Contract Form and cause it to be sent to the head of the academic training institution. Who shall suitably enter in the first copy of the entire form from the second copy and third copy and shall fill Section-V of the three copies of Contract Form and thereafter hand over both the second copy and third copy to the trainee. This, if completed in all respect, shall be regarded as certificate of having successfully completed the (Part-III) course of Diploma in Pharmacy.

19. Certificate of Diploma in Pharmacy -

A certificate of Diploma in Pharmacy in Homoeopathy shall be granted by the Board to a successful candidate on producing certificate of having passed the Diploma in Pharmacy Part-I and Part-II and satisfactorily completion of practical training for Diploma in Pharmacy (Part-III).

20. Miscellaneous -

No Course of training in Pharmacy shall be considered for approval under regulation 17 unless it satisfies all the conditions prescribed under these regulations.

SYLLABUS

PHARMACEUTICS

Part – I Theory (200 hours)

- (i) Definition.
- (ii) Introduction to pharmacopoeia with special reference to HPI, HPUS, BHP, GHP
- (iii) Meteorology systems of weights and measures including Homoeopathic Scales calculation including conversion from one to another system.
- (iv) Vehicles, Introduction to vehicles.
- (v) Hahnemann's method of preparation of mother tincture.
- (vi) Preparation of mother tincture by percolation and maceration, new method.
- (vii) Potentization, trituration and succussion, conversion of dry trituration to liquid potency.
- (viii) Different method of preparation of homoeopathic medicine.
 - Drug trituration and potentization of homoeopathic drug in decimal scale, centesimal scale and millisimal scale.
- (ix) Jenichen, Finke's high potency, Dr skinner's fluxion method and korsakoff's method of dynamisation.
- (x) External applications, scope, components and preparation, glycerols, liniments, creams, ointments, lotion, plasters and protective.
- (xi) Medication of globules, tablet, diskettes etc
- (xii) Preservation of mother tincture and potencies.
- (xiii) Posology.

- (xiv) Routes of administration.
- (xv) Pharmacodynamics; mechanism of drug action, factors modifying drug action.
- (xvi) Action of drugs: Physical, Chemical, Dynamic.

Practical (175 hours)

- (i) Purity test of vehicle ethyl alcohol, distilled water, sugar of milk, olive oil, glycerine.
- (ii) Estimation of moisture content.
- (iii) Preparation of mother tincture by old method (1-9 class) succession and trituration (10 each).
- (iv) Method potentization, trituration and succussion.
- (v) Preparation of culture media and sterility test of eye drop.
- (vi) Preparation of distilled water and water for injection.
- (vii) Preparation of suspension.
- (viii) Emulsion.
- (ix) Ointments preparation.
- (x) Enema.

Part - II Theory (200 hours)

- (i) Surgical dressings, absorbents, bandages, plasters and protective.
- (ii) Size separation by sieving
- (iii) Mixing and homogenization, liquid mixing and powder mixing, mixing of semi solids
- (iv) Filtration and its classification, theory of filtration, filter media, filter aid and selection of filters
- (v) Vehicle used for preparation of homoeopathic drugs, dispensing of medicine, base material used for ointments, liniments, lotion, plasters, poultices, oils and method of preparation.
- (vi) Heat processes, evaporation, factors affecting evaporation, study of 'evaporating still and evaporating pan'
- (vii) Distillation; simple distillation, fractional distillation, steam distillation, vacuum distillation. Study of vacuum still, preparation of purified water, construction and working of still's used for the same
- (viii) Introduction to drying process. Study of tray dryers, fluidized bed dryer, vacuum dryer and freeze dryer
- (ix) Sterilization, concept of sterilization and its difference from disinfection, thermal resistance of micro organism, detailed study of a) sterilization with moist heat, b) dry heat sterilization, c) sterilization by filtration, d) gaseous sterilization
- (x) Tablets definition, different type of compressed tablets and their properties, process involved in the production of tablets, tablets excipients, physical standards including disintegration and dissolution, tablet coating sugar coating, film coating, enteric coating, micro capsulation
- (xi) Capsules manufacturing of empty hard gelatine capsule, soft gelatine capsule, formulation and equipment used for manufacturing of hard gelatine capsule and quality control
- (xii) Incompatible homoeopathic formulations based on homoeopathic philosophy. Incompatibilities in prescriptions, study of various types of incompatibilities- physical, chemical and therapeutic.
- (xiii) Packing and labeling of pharmaceuticals, types of containers, desirable features of containers. Types of glass and plastic materials for containers. rubber as a material for containers- their merits and demerits, introduction to aerosol packaging
- (xiv) Good laboratory practice.

Practical (150 hours)

- (i) Capsule filling.

- (ii) Utensils - cleaning and sterilization.
- (iii) Acid base titration.
- (iv) Litmus test of chloride, sulphate, iron, heavy metal.
- (v) TLC of minimum 5 plant drug.
- (vi) Official identification test for minimum 5 drugs included in the HPI and assay of 10 drugs.
- (vii) Preparation of skin cream.
- (viii) Lotion, face powder.
- (ix) Hair shampoo, hair tonic.
- (x) Tooth powder, tooth paste.

INTRODUCTION TO HOMOEOPATHIC PRINCIPLES

Part I (100 hours)

- (i) History of origin and evolution of Homoeopathy
- (ii) Life and work of Dr. S. Hahnemann
- (iii) Hahnemann – a pharmacist
- (iv) Concept of Health, Disease, Recovery and Cure in Homoeopathy
- (v) Introduction to the study of Organon of Medicine
- (vi) Mission of a physician
- (vii) Ideal cure
- (viii) Principles of Homoeopathic medicine
- (ix) Totality of symptoms
- (x) Analysis and Evaluation of Symptoms
- (xi) Portrait of disease

Practical – Making Records (25 hours)

All the above topics.

Part II (50 hours)

- (i) Disease – Natural and Artificial
- (ii) Primary and secondary action of medicine
- (iii) Drug Proving (Homoeopathic Pathogenetic Trials)
- (iv) Susceptibility
- (v) Theory of Chronic Diseases
- (vi) Remedy reaction
- (vii) Posology
- (viii) Sources of Homoeopathic Materia Medica
- (ix) Homoeopathic Materia Medica
- (x) Comparative study of Homoeopathic Materia Medica with materia medica of other systems of medicine
- (xi) Scope and limitations of Homoeopathic Therapeutic

Practical – Making Records (25 hours)

All the above topics.

PHARMACOGNOSY WITH HOMOEOP. MATERIA MEDICA**Theory (200 hours)**

- (i) Definition, history and scope of Pharmacognosy including indigenous system of medicine.
- (ii) Adulteration and drug evaluation, significance of Pharmacopoeial standards.
- (iii) Morphology, physical, chemical features of following groups with minimum five examples from each :-

(a) Plant Kingdom

Family

- Compositae
- Cucurbitaceae
- Loganiaceae
- Papaveraceae
- Ranunculaceae
- Solanaceae
- Anacardiaceae
- Melanthiaceae

(b) Mineral Kingdom

- Acid Group
- Kali Group
- Natrum Group
- Baryta Group
- Calcarea Group
- Mercury Group
- Carbon Group

(c) Animal Kingdom

- Ophidia Group
- Spider Group
- Insect Group
- Fish Group

(d) Sarcodes

(e) Nosodes

Practical (100 hours)

- (i) Identification of drug by Morphological Characters.
- (ii) Physical and Chemical tests for evaluation of drugs (wherever applicable).
- (iii) Gross anatomical studies (t.s) of the following drugs :

Senna, Datura, Cinnamon, Cinchona, Coriander, Fennel, Clove, Ginger, Nuxvomica, Ipocacuanha.

PHARMACOLOGY and TOXICOLOGY**Theory (100 hours)**

- (i) Introduction to Pharmacology, scope of Pharmacology.

3543 DG/15-7

- (ii) Routes of administration of drugs, their advantages and disadvantages.
- (iii) General mechanism of drugs action and the factors which modify drugs action.
- (iv) Definition of Toxicology.
- (v) Relationship with Homoeopathic Materia Medica.
- (vi) Basic principles of Toxicity – acute, sub-acute and chronic.
- (vii) Local and systemic toxicity.
- (viii) Factors influencing toxicity.
- (ix) Common house hold poisons.
- (x) Classification of poisons.
- (xi) Factor modifying action of poisons.
- (xii) Fate of poison in body.
- (xiii) List of drugs to be studied – in relation to Pharmacological action (20 drugs).

Practical (50 hours)

Identification of Alkaloids.

HUMAN ANATOMY, PHYSIOLOGY and BIO – CHEMISTRY

Theory (150 hours)

- (i) Scope of Anatomy and Physiology. Definitions of various terms used in Anatomy.
- (ii) Structure of cell, function of its components with special reference to mitochondria and microsomes.
- (iii) Elementary tissues of the body i.e. epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and nervous tissue.
- (iv) Structure and function of skeleton. Classification of joints and their function, joint disorder.
- (v) Composition of blood, functions of blood elements, blood group and coagulation of blood, brief information regarding disorders of blood.
- (vi) Name and functions of lymph glands.
- (vii) Structure and functions of various parts of the heart, arterial and venous system with special reference to the names and position of main arteries and veins. Blood pressure and its recording. Brief information about cardiovascular disorders.
- (viii) Various parts of respiratory system and their functions, physiology of respiration.
- (ix) Various parts of urinary system and their functions, structure and functions of kidney, physiology of urine formation, pathophysiology of renal disease and edema.
- (x) Structure of skeletal muscle, physiology of muscle contraction, names position, attachments and functions of various skeletal muscles, physiology of neuromuscular junction.
- (xi) Various parts of central nervous system, brain and its parts, functions and reflex action. Anatomy and physiology of autonomic nervous system.
- (xii) Elementary knowledge of structure and functions of the organs of taste, smell, ear and skin, physiology of pain.
- (xiii) Digestive system: names of the various parts of digestive system and their functions, structure and functions of liver, physiology of digestion and absorption.
- (xiv) Endocrine glands and hormones, locations of the glands, their hormones and functions, pituitary, thyroid, adrenal and pancreas.
- (xv) Reproductive system – Physiology and anatomy of reproduction system.
- (xvi) The ear, eye and skin – Structure and function.

Practical (100 hours)

- (i) Study of the human skeleton.
- (ii) Study with the help of charts and models of the following system of organs :
 - (a) Digestive system.
 - (b) Respiratory system
 - (c) Cardiovascular system
 - (d) Urinary system
 - (e) Reproductive system
 - (f) Nervous system
 - (g) Eye
 - (h) Ear
- (iii) Microscopic examination of epithelial tissue, cardiac muscle, smooth muscle, skeleton muscle, connective tissue and nervous tissues.
- (iv) Examination of blood films for TLC, DLC and malarial parasite.
- (v) Determination of clotting time of blood, erythrocyte sedimentation rate and hemoglobin value.
- (vi) Recording of body temperature, pulse, heart rate, blood pressure and ECG.
- (vii) First aid – Its aim and general principles, improvisation of equipments and utilization of available materials for first aid.

How to tackle hemorrhages, shock, asphyxia, convulsions, wound, burn, scars, poisoning and resuscitations.

Use of bandages, splints etc.

PHARMACEUTICAL JURISPRUDENCE**Theory (50 hours)**

- (i) Origin and nature of pharmaceutical legislation in India, its scope and objectives. Evolution of the "Concept of Pharmacy" as an integral part of the Health Care System.
- (ii) Principles and significance of Professional Ethics.
- (iii) Pharmacy Act, 1948 – The General study of the Pharmacy Act with special reference to Education Regulations, working of State and Central Councils, constitutions of these councils and functions. Registration procedures under the Act.
- (iv) The Drug and Cosmetics Act, 1940 – General study of the Drugs and Cosmetics Act and the Rules thereunder. Definitions and salient features related to retail and wholesale distribution of drugs. The powers of Inspectors, the sampling procedures and the procedure and formalities in obtaining licenses under the rule. Facilities to be provided for running a Pharmacy effectively. General study of the Schedules with special reference of schedules C, C1, F, G, J, H, P and X and salient features of labeling and storage condition of drugs.
- (v) The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act, 1954 – General study of the Act Objectives, special reference to be laid on Advertisements. Magic remedies and objectionable and permitted advertisements – disease which cannot be claimed to be cured.
- (vi) Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 – A brief study of the act with special reference to its objectives, offences and punishment.
- (vii) Brief introduction to the study of the following acts :
 - (a) Latest drugs (Price Control) Order in force.
 - (b) Poisons Act, 1919 (as amended to date)
 - (c) Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955 (as amended to date)

- (d) Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (as amended to date)

DRUG STORE AND BUSINESS MANAGEMENT

Theory (100 hours)

Part - 1 Commerce

- (i) Introduction – Trade, Industry and Commerce Functions and subdivision of Commerce, Introduction to Elements of Economics and Management.
- (ii) Forms of Business Organisations
- (iii) Channels of Distribution.
- (iv) Drug House Management – Selection of site, Space Lay-out and legal requirements.
Importance and objectives of Purchasing, selection of suppliers, credit information, tenders contracts and price determination and legal requirements thereto.
Codification, handling of drug stores and other hospitals supplies.
- (v) Sales Promotion, Market Research, Salesmanship, qualities of a salesman, Advertising and Window Display.
- (vi) Recruitment, training, evaluation and compensation of the pharmacist.
- (vii) Banking and Finance service and functions of bank, Finance Planning and sources of finance.

Part - II Accountancy

- (i) Introduction to the accounting concepts and conventions, Double entry book keeping, Different kinds of accounts.
- (ii) Cash Book.
- (iii) General Ledger and Trial Balance.
- (iv) Profit and Loss Account and Balance Sheet.
- (v) Simple technique of analysing financial statements.
- (vi) Introduction to Budgeting.
{Books Recommended (Latest edition)
Remington's Pharmaceutical Sciences}.

Practical (50 hours)

Preparing records.

HOSPITAL AND CLINICAL PHARMACY

Theory: (100 hours)

Hospital Pharmacy:

- (i) Hospital Definitions, Function, Classification based on various criteria, organisation, management and health delivery system in India.
- (ii) Hospital Pharmacy:
 - (a) Definition.
 - (b) Functions and objectives of Hospital Pharmaceutical services.
 - (c) Location, Layout, Flow chart of material and men.
 - (d) Personnel and facilities requirements including equipments based on individual and basic needs.
 - (e) Requirements and abilities required for Hospital Pharmacists.

(iii) Drug Distribution system in Hospitals:

(a) Out - patient services.

(b) In-patient services – (a) types of services (b) detailed discussion of Unit Dose system, Floor ward stock system, Satellite pharmacy services, Central sterile, Bed Side Pharmacy.

(iv) Manufacturing:

(a) Economical considerations, estimation of demand.

(b) Sterile manufacture – large and small volume, parenteral facilities, requirements, layout production planning, manpower requirements.

(c) Non-sterile manufacture – Liquid orals, externals – bulk concentrates.

(d) Procurement for stores and testing of raw materials.

(v) Nomenclature and uses of surgical instruments and Hospital Equipments and health accessories.

(vi) Surgical dressing like cotton, gauze, bandages and adhesive tapes including their Pharmacopoeial test for quality. Other hospital supply e.g. I.V. sets, B.G. sets, Ryle's tubes, Catheters, Syringes etc.

(vii) Application of computer in maintenance of records, inventory control, medication monitoring, drug information and data storage and retrieval in hospital and retail pharmacy establishments.

Clinical Pharmacy:

(i) Introduction to Clinical Pharmacy Practice – Definition, scope.

(ii) Modern dispensing aspects – Pharmacists and Patients counselling and advice for the use of common drugs, medication history.

(iii) Common daily terminology used in the Practice of Medicine.

(iv) Bio-availability of drugs, including factors affecting it.

Practical (50 hours)

(i) Testing of raw materials.

(ii) Evaluation of surgical dressing.

(iii) Sterilization of surgical instruments, glass ware and other hospital supplies.

(iv) Handling and use of data processing equipments.

By Order and in the Name of Lt. Governor of Delhi,
National Capital Territory of Delhi,
Dr. MRINALINI DARSWAL, Special Secy.(AYUSH)